कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/वो–2/2021 दिनांक 29.09.2021 द्वारा ओंकारलाल वैष्णव, प्रधानाचार्य, राउमावि श्रीपुरा जिला चित्तौडगढ का स्थानान्तरण राउमावि भीमगढ जिला चित्तौडगढ किया गया था जिसके विरूद्ध ओंकारलाल वैष्णव द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4579/2021 ओंकारलाल वैष्णव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2021 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के अभ्यावेदन प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को दिये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए। अपीलार्थी के प्रकरण के विचाराधीन होने के दौरान ही अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17126/2021 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 10.12.2021 द्वारा श्री ओंकार लाल वैष्णव के अभ्यावेदन को एक सप्ताह के भीतर निस्तारित किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अपनी प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपना स्थानान्तरण निरस्त कर पुनः राउमावि श्रीपुरा जिला चित्तौडगढ पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में अन्यत्र समायोजन हेतु किसी प्रकार के विकल्प प्रदान नहीं किये गए। अपीलार्थी को चित्तौडगढ जिले में ही स्थानान्तरित किया गया है, किसी अन्य जिले में या दूरस्थ स्थान पर नहीं। अपीलार्थी राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर के अधिकारी हैं और इन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य एवं विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। अन्यत्र स्थानान्तरित/पदस्थापित किये जाने से किसी भी लोक सेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता। जिले के भीतर स्थानान्तरित किये जाने के बावजूद भी इच्छित स्थान पर पदस्थापित किये जाने की अपीलार्थी की मांग नियमानुकूल नहीं है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री ओंकार लाल वैष्णव द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

20.12.21

(काना राम)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/ओंकारलाल/4579/2021 **दिनांकः** 20.12.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक उदयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर/जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री ओंकारलाल वैष्णव, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि भीमगढ जिला चित्तौडगढ को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)